भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *184 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण उद्योग का पुनरुद्धार

† *184 . डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक स्तर पर पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत में भारत की कम हिस्सेदारी पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पोत निर्माण उद्योग को पुनरुज्जीवित करने, निजी निवेश को आकर्षित करने और वर्ष 2030 तक भारत को एक प्रतिस्पर्धी 'मैरिटाइम' केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“पोत निर्माण उद्योग का पुनरुद्धार" के संबंध में माननीय सांसद डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही द्वारा दिनांक 01.08.2025 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *184 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): जी, हां। पोत निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करना और पोत निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना, मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

संघ सरकार के बजट भाषण, 2025 में पोत निर्माण के संबंध में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

पैरा 63: "लागत संबंधी नुकसान से निपटने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को पुन: तैयार किया जाएगा। इसमें सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिपब्रेकिंग (पोत भंजन) के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे।"

पैरा 64: "एक निर्दिष्ट आकार से बड़े पोतों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।"

पैरा 65: "पोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता बढ़ाने के लिए पोत निर्माण क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी प्रदान करना शामिल होगा।"

पैरा 66: "समुद्री उद्योग के दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु, 25,000 करोड़ रुपए की अक्षय (कॉपर्स) के साथ समुद्री विकास निधि स्थापित की जाएगी। यह डिस्ट्रिब्यूटेड सपोर्ट और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक योगदान होगा, और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।"

पैरा 125: "पोत निर्माण की प्रक्रिया की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, मैं पोतों के निर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों पर बीसीडी की छूट को अगले दस वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं शिपब्रेकिंग (पोत भंजन) को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव करता हूँ।"

सरकार ने पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सरकार, भारतीय शिपयार्डों को विदेशी शिपयार्डों के बराबर समान अवसर प्रदान करने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) प्रदान कर रही है। शिपयार्ड को 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के दौरान इन तारीखों सहित हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

ii. सरकार ने पोत निर्माण यार्डों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इस दर्जे से शिपयार्डों को अनुकूल शर्तों और कम ब्याज दरों पर ऋण लेने में मदद मिलेगी। ये शिपयार्ड अवसंरचना बांड भी जारी कर सकेंगे।

iii. सरकार ने किसी भी प्रकार के जलयान (जलयानों) के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा नए पोत के दिए गए निर्माण ऑर्डरों का मूल्यांकन करने और निविदाएं सौंपने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जब भी किसी जलयान (जलयानों) का अधिग्रहण निविदा के माध्यम से किया जाता है, तो योग्य भारतीय शिपयार्डों को "पहले इनकार का अधिकार" (आरओएफआर) होगा, जिससे वे विदेशी शिपयार्ड द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के बराबर मूल्य पर काम कर सकेंगे।

iv. भारतीय शिपयार्डों में पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पोत निर्माण और पोत-स्वामित्व से संबंधित सरकारी निकायों को भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुसार स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इस आदेश के अनुसार, 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य के पोतों की खरीद भारतीय शिपयार्डों से ही की जानी आवश्यक है।

v. सरकार ने भारतीय शिपयार्डों में निर्मित होने वाले टगों की खरीद हेतु महापत्तनों द्वारा उपयोग के लिए पाँच प्रकार के मानक टग डिज़ाइन जारी किए हैं।

vi. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, ने भी पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए कई पहल शुरू की है, जो निम्नवत हैं:

क. पोत निर्माण के लिए, सीएसएल ने अपनी कोच्चि सुविधा में नया ड्राई डॉक (एनडीडी) चालू किया है। लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह एक प्रमुख परियोजना है जिसमें नए भारत की इंजीनियरिंग योग्यता को दर्शाया गया है। 75/60 मीटर चौड़ाई, 13 मीटर गहराई और 9.5 मीटर तक ड्रॉट वाला 310 मीटर लंबा अपने किस्म का अकेला यह स्टेप्ड ड्राई डॉक इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समुद्री अवसंरचनओं में से एक है। इसमें सामरिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ बड़े आकार के वाणिज्यिक जलयानों को हैंडल करने की क्षमता है जिससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

ख. पोत मरम्मत के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कोच्चि में 970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) विकसित की है। आईएसआरएफ का उद्देश्य भारत की मौजूदा पोत मरम्मत क्षमता का आधुनिकीकरण, विस्तार और उसमें पर्याप्त वृद्धि करना है।

vii. पोत निर्माण क्षेत्र में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के दो शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत पंजीकरण कराया है।

*****